

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 111 सन् 2017

- 1- श्री नैनुसिंह उर्फ नैनु पुत्र श्री हजारी जाति रावत उम्र 58 साल निवासी गोपाल सागर खरवा तहसील मसूदा जिला-अजमेर
- 2- श्री महेन्द्रसिंह उम्र 35 साल पुत्र श्री सुवा उर्फ सुवासिंह जाति रावत
- 3- श्री बाबूसिंह उम्र 29 साल पुत्र श्री सुवा उर्फ सुवासिंह जाति रावत निवासी गोपालसागर खरवा तहसील मसूदा
- 4- श्रीमति मीरा पत्नि श्री सुवा उर्फ सुवासिंह जाति रावत उम्र 55 साल निवासी गोपाल सागर, खरवा तहसील मसूदा
- 5- श्रीमति प्रेम पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह पुत्री श्री सुवा उर्फ सुवासिंह जाति रावत निवासी रूदलाई वाया लामाना जिला-अजमेर
- 6- श्रीमति प्रबीला पत्नि श्री प्रभूसिंह पुत्री श्री सुवा उर्फ सवाईसिंह उम्र 26 साल जाति रावत निवासी लहरी पोस्ट खरवा तहसील मसूदा

-----वादीगण

बनाम

- 1- श्रीमति बरजी पत्नि स्व0 भंवरसिंह जाति रावत निवासी गोपाल सागर, खरवा तहसील मसूदा
- 2- श्रीमति शांति पत्नि श्री प्रभूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम देवपुरा वाया खरवा तहसील मसूदा
- 3- श्रीमति जमना पत्नि श्री गोपालसिंह पुत्री लाडूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम धीमडी (रातडिया) तहसील जैतारण जिला-पाली
- 4- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मसूदा
- 5- श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, मसूदा
- 6- राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर महोदय, अजमेर राज0
- 7- श्री डालचन्द शर्मा उर्फ चतुर्भुज शर्मा पुत्र श्री ओकारमल जी शर्मा उम्र 47 साल जाति ब्राह्मण निवासी 15 महावीर गंजी गली नंबर 3, ब्यावर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक 10.03.2021

संक्षिप्त: वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद मौजा ग्राम रानीसागर पटवार हल्का खरवा तहसील मसूदा हाल खसरा नंबर 2943, 2944, 2949, 2950, 2952, 2955, 2934, 2935, 2953, 2954, 2965, 2966, 2970, 3091, 3092, 3093, 3105, 3106 एवं 2940 के विषय में घोषणा व विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुये वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने राजीनामा पेश किया गया जिसको इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है।

प्रकरण में जो राजीनामा प्रस्तुत होने तथा उसके तस्दीक किए जाने के बाद उक्त राजीनामा के अनुसार वादीगण के हक हिस्से में खसरा नंबर 2934, 2935, 2966, 2971, 2970, 2655, 2951, 2952, 2950, 2949/1 रखा जावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हक हिस्से में खसरा नंबर 2941, 2943, 2944, 2945, 2946, 2647, 2956, 3895/2933, 3944/2917, 3896/2933, 3945/2917, 2949/2 रखा जावे।

.....लगातार


राजस्व वाद संख्या 111 सन् 2017
श्री नैनुसिंह वगैरह बनाम श्रीमति बरजी वगैरह
// 2 //

तथा प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से में खसरा नंबर 4655/3944, 2956 रखा जावे। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त हिस्सा जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा खसरा नंबर 3091, 3092, 3093, 3105, 3106 रखा जावे।

अतः राजीनामा अनुसार मौजा रानीसागर तहसील मसूदा में स्थित भूमियो वादीगण के हक हिस्से में खसरा नंबर 2934, 2935, 2966, 2971, 2970, 2655, 2951, 2952, 2950, 2949/1 रखा जावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हक हिस्से में खसरा नंबर 2941, 2943, 2944, 2945, 2946, 2647, 2956, 3895/2933, 3944/2917, 3896/2933, 3945/2917, 2949/2 रखा जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से में खसरा नंबर 4655/3944, 2956 रखा जावे। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त हिस्सा जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा खसरा नंबर 3091, 3092, 3093, 3105, 3106 रखा जावे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 7 के बीच पृथक पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 का कब्जा कायम किया जावे तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.